

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :- 10/2021

1. रामेश्वर 47 वर्ष } पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन
रोजड़ी }
2. चुन्नीलाल 44 वर्ष } हाल चक 2 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला
बीकानेर। }

वादीगण

बनाम

1. शान्ति पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजाराम }
3. रंजना } पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन चक 1 आर.
जे. }
4. विनोद } एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर। }
5. विजयपाल }
6. जेठी देवी पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 75 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7. लिक्ष्मण } पिसरान रेवंन्तराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन सुभलाई
8. कृष्ण } तहसील लुनकरनसर जिला बीकानेर। }
9. केशराराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 78 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
10. ख्यालीराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
11. उप-पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

:- निर्णय :-

दिनांक :-

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी- चक 2 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 60/2 की 25 बीघा भूमि -प्रार्थीगण रामेश्वर और चुन्नीलाल के पिता चंदूराम के नाम दर्ज है। चंदू राम की 2018 में मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थी गण ने दावा पेश किया है कि चंदू राम में पारिवारिक बंटवारे के तहत यह जमीन प्रार्थी गण के नाम कर दी थी लेकिन चंदू राम की अन्य संताने फर्जी वसीयत के आधार पर इस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। वादी गण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 ,188 के तहत वाद प्रस्तुत कर निम्न अनुतोष चाहा गया है की परिवारिक बंटवारे के अनुसार वादी गण को उक्त संपत्ति का खातेदार घोषित किया जाए और वादी गण के पक्ष में चिरस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए की प्रतिवादी गण वादी के कर्ज काश्त में दखलअंदाजी ना करें।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि प्रार्थी गण द्वारा पेश किया गया दावा **maintainable** नहीं है क्योंकि किसी खातेदार की मृत्यु के बाद आराजी का सही हकदार कौन है यह फैसला तहसीलदार/ग्राम पंचायत द्वारा वारिसाने इंतकाल के द्वारा किया जाएगा। तहसीलदार/ग्राम पंचायत के फैसले से पूर्व ही उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यदि प्रार्थीगण उस फैसले से व्यथित होते हैं तो वह सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि प्रार्थीगण को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया के दौरान फर्जी कागजात पेश कर सकता है तो वह सक्षम अधिकारी यथा तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी आपत्ति दायर करवा सकते हैं। यदि चंदू राम द्वारा प्रार्थी गण के पक्ष में कोई बंटवारा किया गया है तो प्रार्थी गण उसे भी तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसलिए यह वाद **maintainable** नहीं है। इसे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसके साथ ही तहसीलदार खाजूवाला/ ग्राम पंचायत 2 पीडब्ल्यूएम को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी के उत्तराधिकार इंतकाल का निर्णय करते समय वादी गण और प्रतिवादी गण गण को आवश्यक रूप से सुने और उसके बाद ही फैसला करें।

प्रार्थी गण द्वारा इस वाद के साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है उस प्रार्थना पत्र को भी इन्हीं आधारों पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)